नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003

(26.05.2022 तक संशोधित**)**

का.आ.1318 (अ) दिनांक 18 नवंबर 2003 - नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नारियल विकास बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, आरंभ और अनुप्रयोग:- (1) इन विनियमों को नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये बोर्ड के सभी कर्मचारियों, सिवाय अध्यक्ष और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की **#**और धारा 7 की उप-धारा (1), (2) तथा (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों के, और बोर्ड द्वारा अनुबन्ध के आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के, जिनके संबंध में मामले अनुबन्ध द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति की शर्तों द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनियमित होते हैं, को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) है;

(ख) बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में "नियोक्ता प्राधिकारी" से तात्पर्य नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 16 और 19 में उल्लिखित पदों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में नियुक्तियां अथवा प्रोन्नतियां करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी है;

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत स्थापित नारियल विकास बोर्ड है;

#(घ)"अध्यक्ष" से धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत है;

#(घक) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "समिति" से तात्पर्य धारा 9 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति है;

(च) "बोर्ड के कर्मचारी" से तात्पर्य अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में दर्शाए गए बोर्ड की सेवा में किसी भी व्यक्ति से है, सिवाय अध्यक्ष **#**और धारा 7 की उप-धारा (1), (2) तथा (4) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों के;

(छ) "वेतन" से तात्पर्य अनुसूची 1 के स्तंभ (3) में दिए गए संगत वेतनमान के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रयोज्य नियमों में परिभाषित वेतन है;

(ज) "पद" से तात्पर्य समय-समय पर संशोधित नारियल विकास बोर्ड भर्ती विमियम, 1984 में विनिर्दिष्ट पद है;

#भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशित का.आ.2430(अ) दिनांक 26.05.2022 के अनुसार संशोधित।

(झ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची है;

(ञ) "सचिव" से तात्पर्य बोर्ड के सचिव है;

(त) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा है;

3. बोर्ड के कर्मचारीः- बोर्ड के कर्मचारियों की किस्म और श्रेणियां तथा उनके वेतनमान नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 में विनिर्देशन के अनुसार होगी।

4. कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तेंः- (1) बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार होंगे।

(2) केन्द्र सरकार के अंतर्गत संगत वेतनमानों में पद धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य इस समय लागू नियम और आदेश बोर्ड के कर्मचारियों की परिवीक्षा, अस्थाई सेवा, वरीयता, पुष्टि, ग्रहणाधिकार, सेवा की समाप्ति, वेतन तथा भत्ते, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, कार्यग्रहण समय, कार्यग्रहण समय के वेतन, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति लाभ, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी यात्रा रियायत, बाल शिक्षा भत्ता, बोनस और अन्य सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे। बशर्ते कि इन विनियमों के शुरू होने की तारीख के बाद नियुक्त किए गए व्यक्तियों को देय सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों के संबंध में समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

5. अवकाश नियमः- (1) कर्मचारियों का अवकाश समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

(2) विभिन्न किस्म के अवकाश प्रदान किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुसूची 1 के अनुसार होगा।

6. तैनाती और स्थानांतरणः- (1) सभी कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण **#**मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो इस अधिकार को, उन शर्तों पर जो वह उचित समझता हो, किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त कर सकता है।

(2) सभी कर्मचारी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) **#**मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा यथावत प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लोक हित में, किसी इकाई में किसी पद से किसी कर्मचारी को दूसरी इकाई में किसी अन्य समतुल्य पद पर स्थानांतरित अथवा किसी इकाई में किसी कर्मचारी को दूसरी इकाई में पद सहित स्थानांतरित कर सकता है।

7. प्रतिनियुक्तिः- (1) बोर्ड के कर्मचारियों को **#**मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से दूसरे संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

(2) ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

8. यात्रा भत्ताः- बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को जिसे दौरे पर या उसके विभागीय सेवाओं से जुड़े स्थानांतरण पर भेजा जाना अपेक्षित होगा, उसे उन दरों पर जैसा केन्द्र सरकार के सदृश वेतनमान के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है के अनुसार यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा।

#भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशित का.आ.2430(अ) दिनांक 26.05.2022 के अनुसार संशोधित।

9. व्यवहार, अनुशासन, अपील और समीक्षा:- (1) बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में व्यवहार, अनुशासन, अपील और समीक्षा से संबंधित सभी मामलों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 जैसे कि सदृश ग्रेड में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, लागू होंगे।

(2) बोर्ड के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अनुशासन और अपील के उद्देश्य के लिए जुर्माना लगाने का प्राधिकार अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में आचरण से संबंधित सभी मामलों में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 जैसे कि सदृश ग्रेड में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, लागू होंगे।

10. व्याख्या:- इन शर्तों की व्याख्या करने या इन्हें लागू करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई होती है, बोर्ड या **#**मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन्द्र सरकार के परामर्श से ऐसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से सामान्य अनुदेश जारी कर सकती है।

11. शिथिल करने की शक्ति:- जहां बोर्ड का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह केन्द्र सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा और लिखित में कारणों का उल्लेख करके, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के विषय में इन विनियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

12. मामले जिनके विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया है:- बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित मामले जिसके विषय में इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है; इसके निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया जाएगा।

13. व्यावृत्ति:- नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 और नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे नियमों, विनियमों, आदेशों, अनुदेशों जैसा कि केन्द्रीय सरकार के उन स्थानों पर स्थित कर्मचारियों के संगत ग्रेड अथवा स्तर के समनुरूप लागू होता हो, के अनुसार बोर्ड द्वारा किसी पहले किए गए अथवा लोप किए जाने वाले अथवा किए जाने की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

#भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशित का.आ.2430(अ) दिनांक 26.05.2022 के अनुसार संशोधित।